न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या 03/2013

1. सर्वजीतसिंह पुत्र स्व. सन्तोष सिंह जाति राजपूत निवासी 11493–75 ए वी ई बीसी वी 3 टी मैन्युवर कैनाडा हाल निवासी 11 जैड तहसील जिला श्रीगंगानगर।

— — अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. ग्राम पंचायत 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नि जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जैड ढ़ाणी तहसील श्रीगंगानगर।
3. कुलदीप कौर पत्नि स्व. सन्तोख सिंह जाति राजपूत।
4. चरणजीत सिंह पुत्र स्व. सन्तोख सिंह जाति राजपूत ए वी ई बीसी वी 3 टी मैन्युवर कैनाडा हाल निवासी 11 जैड तहसील जिला श्रीगंगानगर।

— — रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता — अपीलान्ट
2. लखवीर सिंह अधिवक्ता — रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26-9-16

अपीलान्ट की ओर से इन्तकाल नम्बर 218 दिनांक 05.08.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम से चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28 मुरब्बा नम्बर 38 के 6.325 हैक्टर रकबा दर्ज कागजात राज है, उक्त रकबा को वह हिस्सा ठेका पर काश्त करवाते रहे है। दिसम्बर 2012 में यह पता चला कि कथित मुखत्यारनामा की आड़ लेकर उनके रकबा का बैयनामा करवा लिया गया है। इस पर छानबीन शुरू की गई व एक परिवाद अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 श्रीगंगानगर में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी. सी. का किया गया तथा इस पर थाना सदर श्रीगंगानगर में एक एफ.आई.आर. संख्या 18 दिनांक 08.01.2013 भी दर्ज की गई इसी क्रम में आगे पटवारी हल्का से दिनांक 27.01.2013 को सम्पर्क होनें पर उसी रोज कानूनी राय हासिल करके दिनांक 29.01.2013 को नकल हासिल की जाकर यह अपील पेश की है।

इन्तकाल करनें से पूर्व ना तो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 3 व 4 का ना तो कोई नोटिस दिया गया ना मिला ना ही बुलाया ना ही सुना गया ना ही इस बात की जांच की गई कि कथित बैयनामा सही है या नहीं जबकि बैयनामा फ्राड से करवाया गया है व शुरू से ही शुन्य है। इस बारें में अपीलान्ट ने ना केवल फौजदारी मुकद्मा दर्ज करवा रखा है बल्कि सिविल कोर्ट में दावा किया जाकर बैयनामा को निरस्त करवाया जा रहा है। इस प्रकार से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 हर प्रकार से ही प्रभावित पक्षकार थे तथा बिना उनको बुलाए सुने ही आदेश पारित किया गया है इन्तकाल किया गया है जो कि स्पष्ट तौर से गल्त व एक तरफा होनें से निरस्तनीय है, क्योंकि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो की पालना नहीं हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

ग्राम पंचायत नें किसी प्रकार से ना तो मिटिग करके कोई प्रस्ताव पास किया ना ही कभी कोई कमेटी गठित की ना ही किसी कमेटी से जांच करवाई ना ही कमेटी नें किसी तरह से ऐसी कोई रिपोर्ट की कि इन्तकाल किया जावे ना ही कोई आपत्ति पेश करनें के बाबत अवसर ही दिया गया ना ही आपत्ति पेश करनें की सूचना किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई ना ही ऐसी किसी सूचना प्रकाशित होनें का पता चला ना ही अन्य कोई पक्रिया अपनाई गई अतः इन्काल जेर अपील स्पष्ट ही गल्त है मिलीभगत करके करवाया तथा किया गया है तथा निरस्तनीय है।

पंचायत ने ना तो इन्तकाल नियमों का कोई पालना की ना ही लैण्ड रिकार्ड रूल्स की धारा 119 से 126 तक के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई ना ही कब्जा की जांच करवाई गई क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 3 व 4 ही वास्तव में मालिक खातेदार है। तथा कब्जा उनका है। क्योकि उनके द्वारा हिस्सा ठेका पर कास्त करवाई जाती है। ना कभी बेचान किया गया है। अतः कब्जा के अभाव में भी इन्तकाल रेस्पोडेन्ट 2 के नाम से नहीं किया जा सकता था अतः ग्राम पंचायत नें इस अहम तथ्य पर गौर नहीं किया है अगर अपीलान्ट को नोटिस दिया जाता व बुलाया जाता तो सही तथ्य अदालत मातहत के समक्ष आते व ऐसा आदेश पारित ना किया जाता।

पंचायत को बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जानें का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ना तो पंचायत किसी बैयनामा के बारें में जांच कर सकती है ना ही साक्ष्य ले सकती हैना ही इन्तकाल ही कर सकती है। इन्तकाल मिली भगत करके चुपचाप ही करवाया गया है पंचायत नें कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 15.03.2013 को स्वयं उपस्थित आये तत्पश्चात कभी भी तारिख पेशी पर उपस्थित नहीं आये तथा ना ही किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत अथवा जबाब अपील मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत की तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नें सम्मन न लेनें के कारण दिनांक 07.01.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की और से विद्धान अधिवक्तागण उपस्थित हुए दिनांक 05.09.2016 को अपीलान्ट के विद्धान अधिवक्ता द्वारा तथा दिनांक 08.09.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के विद्धान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई।.

हमने बहस पर मनन किया एंवम् पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अवलोकन किये जानें पर पाया कि पंचायत 9 जैड का नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 05.08.2011 बैयनामा के आधार पर स्वीकृत किया है। चुँकि सामान्यतः बैयनामा के आधार पर जो नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, अन्य में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिये यह तथ्य अस्वीकार है, कि नामान्तरण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दर्ज किया गया है। जब तक बैयनामा सक्ष्म न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी नहीं हो जाता तब नामान्तरणकरण को खारिज नहीं किया जा सकता। अपिलान्ट द्वारा यह कथन भी किया गया है, कि नहीं कि इस्तगासा अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 श्रीगंगानगर में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. का किया गया तथा इस पर थाना सदर श्रीगंगानगर में एक एफ.आई.आर. संख्या 18 दिनांक 08.01.2013 दर्ज है अतः यह स्पष्ट है, कि जब तक उक्त प्रकरण में निर्णय नहीं हो जाता है, या सिविल न्यायालय द्वारा बैयनामा निरस्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक प्रकरण विवादित होनें के कारण नामान्तकरण को निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

A7/3

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होनें के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26-9-16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर